# राजस्थान सरकार
## आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

8443-81

पत्रांकः एफ 5(10) आ.प्र. एवं स.आ./चारा/2009-10/ जयपुर, दिनांक 13.4.10

जिला कलेक्टर,
अजमेर, अलवर, बासवाड़ा, बाडमेर, भीलवाड़ा
बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ, चूरू, दौसा, डूगरपुर,
गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर,
झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर,
सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर एवं प्रतापगढ़।

विषयः— अभाव संवत् 2066 में अभावग्रस्त जिलों में संचालित पंजीकृत गौशालाओं एवं पशु शिविरों में संधारित पशुओं हेतु पशु आहार उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 6 के बिन्दु संख्या 6.2.11 एवं अनुच्छेद 7 के बिन्दु संख्या 7.2.16 में गौशालाओं एवं पशु शिविरों में संधारित पशुओं को चारे के साथ साथ पशु आहार खिलाये जाने का प्रावधान है। पशु आहार उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में अनुदान में से कटौति का भी प्रावधान है। वर्तमान में अनेक जिलों में चारे के दामों में हुई बढ़ोतरी के मध्यनजर उक्त के अनुसरण में अब यह निर्देशित किया जाता है कि जिले की स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गौशालाओं/पशु शिविरों में संधारित पशुओं के श्रेष्ठतम हित में आवश्यक होने पर पूर्ण अनुदान राशि से चारा खिलाकर संरक्षण प्रदान किया जावे अर्थात् अनुदान राशि से पशु आहार उपलब्ध कराने की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान करने हेतु जिला कलक्टर्स अधिकृत होंगे।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 12/4/10
शासन सचिव

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक सम्बन्धित जिला प्रभारी मंत्रीगण।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर।
7. निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी सचिव।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
11. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।

(हस्ताक्षर)
शासन उप सचिव